राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 2159/2006/उदयपुर

मैसर्स श्रीनाथ प्रोडक्ट्स, उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत्त–बी, उदयपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पंकज घीया,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24.07.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स) उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 02.08.2006 के विरूद्ध पेश की गयी हैं, जो अपील संख्या– 244/आर.एस.टी./2005–06 के सम्बन्ध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम वृत्त–बी, उदयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत् निर्धारण वर्ष 2003–04 के लिये पारित निर्धारण आदेश के जरिये कायम की गयी मांग राशि रू0 84,362/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया गया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर योग्य मिर्ची व हल्दी कीमतन रू. 4,67,449/– का इन्द्राज नियमित लेखा पुस्तकों में नही किया गया है । अतः प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया । जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी/अधिकृत प्रतिनिधि के अनुपस्थित होने के कारण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उपर्युक्तानुसार मांग राशि कायम कर, अधिनियम की धारा 28 के तहत् एकपक्षीय अनंतिम निर्धारण आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात्, निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि के निर्धारण आदेश में अधिनियम की धारा 28 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों को पारित निर्धारण आदेश में समाहित कर, एकपक्षीय निर्धारण आदेश

लगातार.....2

पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित कर, मांग राशियां कायम की गयी जो राजस्थान विक्रय कर नियम, 1996 के नियम 47 एवम् प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन है एवम् नोटिस जारी किये जाने के अभाव में अपास्त योग्य है । कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त महत्वपूर्ण एवम् विधिक आवश्यकता को नजरअंदाज कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः अपने उक्त तर्को के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित अपीलीय आदेश को विधिक होना प्रकट कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी आपत्ति पर विचार किया गया। रिकॉर्ड व अपीलीय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश से पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी नहीं किया गया है जो राजस्थान विक्रय कर नियम, 1996 के नियम 47 व प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन है । अतः उक्त महत्वपूर्ण एवम् विधिक आवश्यकता को नजरअंदाज कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । फलस्वरूप, पारित अपीलीय आदेश अपास्त कर, प्रकरण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर, नियमानुसार करारोपण की कार्यवाही करें ।

परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय सुनाया गया।

21.7.2014

(मदन लाल)
सदस्य